

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

वादी

सुशीला

बनाम

प्रतिवादीगण

कृष्ण व अन्य

क्रमा 31/25 (2025/95)

दाया अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री रामनिवास शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि० ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/04/2025 को पेश हो।

605
2032

उपखण्ड अधिकारी
बरसी

26⁴/₂₅ पत्रावली पेश हुई। बकील वादी उपस्थित बकील वादी ने प्रतिवादीगण को भेजे रजिस्टर्ड नोटिस की समीक्षा पेश की जो शांतिव मिस्टर है। बकील श्री उदलडा रावत के द्वारा प्रथी रजिस्ट्रेशन की कोर्ट से प्रार्थना पत्र 01.10.2025 को पेश किया जो शांतिव मिस्टर है उक्त प्रार्थना पत्र का बकील वादी ने जवाब पेश न करके प्रार्थना पत्र पर क्वॉट डेडु निवेदन किया बकील पक्षकार का उक्त प्रार्थना पत्र पर क्वॉट लुकी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवबोध लेने बकील पक्षकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी क्वॉट पर अज्ञात के पश्चात प्रथी रजिस्टर्ड क्रिप पत्र के आधार पर उक्त विवाहित स्त्री का आवरण क्वॉट क्वॉट पक्षकार होने से प्रथी को पक्षकार बनाया जावे उक्ति होने से प्रार्थना पत्र 01.10.2025 को पेश किया जाकर प्रथी को प्रतिक्रिया से 5 के रूप में पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
बरसी

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
27/1/14	पत्रावली पेश/ वरुदाय 507 वास्ते बहक 02 R.11 व 06 R.17 हेतु दिनांक 11/1/14 को पेश हो	अधिकारी जिल्हा-ठाणे
04/1/28	पत्रावली पेश हुई वरुदाय 507 प्रकरण में प्रार्थना पत्र 07 R.11 CPC पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 11/01/2028 को पेश हो	अधिकारी जिल्हा-ठाणे
11/01/25	पत्रावली पेश हुई वरुदाय 507 पत्रावली वास्ते आदेश प्र. पत्र 07 R.11 CPC हेतु नियत आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध हेतुको का अवलोकन करने एवं प्र. पत्र पर पूर्व बहस पर मननपरिवार प्रार्थना/अधिवक्ता सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश न नियम 11 ए व डी एवं संपादन धारा 13। CPC स्वीकार किया गया है विस्तृत निर्णय पृथक्	

फर्द अहकाम

बनाम

प्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली में प्र. पत्र संक्र. ८२८ के स्वीकार होने से काहीया का वाफ बाबत घोषणा एवं स्थान निर्दिष्टाबा खासि किया जाता है पत्रावली में सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>उपस्थित अधिकारी जयपुर जिल्ला-जयपुर</p>	